रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082021-229320
CG-DL-E-31082021-229320

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3257] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2021/भाद्र 9, 1943
No. 3257] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2021/BHADRA 9, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

सं. 21/2015–2020

विषय : आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–। (आयात नीति) के अध्याय 88 की नीतिगत शर्त संख्या–1 में संशोधन – के संबंध में।

का.आ. 3560(अ.).—समय–समय पर यथा–संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–। (आयात नीति) के अध्याय 88 की नीतिगत शर्त 1 को निम्नानुसार संशोधित करती हैः

मौजूदा नीतिगत शर्त संख्या 1	संशोधित नीतिगत शर्त संख्या 1
1. विमान और हेलीकॉप्टरों (इस्तेमाल किए हुए/पुराने विमान और हेलीकॉप्टरों सहित) को निम्नलिखित द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात लाइसेंस प्राप्त किए बिना आयात किया जा सकता है। (क) एयर इंडिया	1. विमान और हेलीकॉप्टरों (इस्तेमाल किए हुए/पुराने विमान और हेलीकॉप्टरों सहित) को निम्नलिखित द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात लाइसेंस प्राप्त किए बिना आयात किया जा सकता है। (क) एयर इंडिया

(ख) पवन हंस लिमिटेड	(ख) पवन हंस लिमिटेड
(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
(घ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए)/ तथा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे अन्य फलाइंग क्लब/ अकादमियां	(घ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए)/ तथा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे अन्य फलाइंग क्लब/अकादमियां
(ड़) कोई भी व्यक्ति जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित या गैर–अधिसूचित हवाई परिवहन सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी गई है जिसके आधार पर डीजीसीए ने ऐसी हवाई परिवहन सेवाओं को संचालित करने के लिए विमान/ हेलीकॉप्टर आयात करने की अनुमति जारी की हो।	(ड़) इंटरनेशनल फाइनेंशियल लीजिंग सेंटर (आईएफएससी) आधारित एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी (च) कोई भी व्यक्ति/कंपनी जिसे डीजीसीए द्वारा अधिसूचित/अधिसूचित कॉम्प्यूटर/ गैर–अधिसूचित हवाई परिवहन सेवाओं या हवाई कार्य प्रचालनों के लिए विमान/हेलीकॉप्टर के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो।

इस अधिसूचना का प्रभावः आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–। (आयात नीति) के अध्याय 88 की नीतिगत शर्त संख्या–। के तहत पैरा (ड़) में संशोधन किया गया है जिससे डीजीसीए द्वारा जारी संशोधित हवाई परिवहन परिपत्र 02/2017 के अनुसार गांधीनगर, गुजरात में जीआईएफटी सिटी में स्थित आईएफएससी में एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों को विमान के आयात की अनुमति दी जा सके। इसके अतिरिक्त, नीतिगत शर्त 1 के मौजूदा भाग (ड़) को संशोधित किया गया है और विमान नियमावली 1937 के नियम 134ख में संशोधन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अनुमति की आवश्यकता समाप्त किए जाने जो लेन–देन की लागत को कम करने और व्यापार को आसान बनाने के उपायों का एक भाग है के कारण संशोधित नीतिगत शर्त में अब यह भाग (च) है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/39/एएम–11/पीसी–2(ए)/ई–5921]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

No. 21/2015-2020

Subject : Amendment in Policy Condition No. 1 of Chapter 88 of ITC (HS) 2017, Schedule-I (Import Policy) -regarding

S.O. 3560(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government, hereby amends Policy Condition 1 of Chapter 88 ITC (HS) 2017, Schedule-I (Import Policy), as under:

Existing Policy Condition No.1	Revised Policy Condition No.1
1. Aircraft and Helicopters (including used/second hand aircraft and helicopters) may be imported by the following without the need to obtain an import license from Directorate General of Foreign Trade.	1. Aircraft and Helicopters (including used/second hand aircraft and helicopters) may be imported by the following without the need to obtain an import license from Directorate General of Foreign Trade.

(a) Air India	(a) Air India
(b) Pawan Hans Limited	(b) Pawan Hans Limited
(c) Airports Authority of India	(c) Airports Authority of India
(d) Indira Gandhi RashtriyaUranAkademi (IGRUA)/and such other flying clubs/Academies recognised by the Ministry of Civil Aviation, Government of India	(d) Indira Gandhi RashtriyaUranAkademi (IGRUA)/and such other flying clubs/Academies recognised by the Ministry of Civil Aviation, Government of India
(e) Any person who has been granted permission by the Ministry of Civil Aviation, to operate scheduled or non-scheduled air transport services, based on which DGCA has issued permission to import aircraft/ helicopter for operating such air transport services.	**(e) International Financial Leasing Centre (IFSC) based Aircraft Leasing Entity** **(f) Any person/entity who has been granted NOC for import of aircraft/helicopters by DGCA, for undertaking Scheduled/Scheduled Commuter/ Non-Scheduled Air Transport Services or Aerial Work operations**

Effect of this Notification: Policy Condition no.1 of Chapter 88 of ITC (HS) 2017, Schedule- I (Import Policy),is revised in part (e) to allow import of aircrafts by Aircraft Leasing Entities in IFSC, located in GIFTcity, Gandhinagar, Gujrat in line with the revised Air Transport Circular 02/2017 issued by DGCA. Further, the existing part (e) of Policy Condition 1 is revised and is now part (f) in the revised Policy condition due to amendment in Rule 134B of Aircraft Rules, 1937 and doing away of permission by Ministry of Civil Aviation which is as part of measures to reduce transaction cost and for ease of doing business.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/39/AM-11/PC-2(A)/E-5921]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.31 22:23:07 +05'30'